

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीकर

श्रीरंग सिंह आदि

बनाम

श्रीरंग सिंह आदि

किस्म मुकदमा

मु.नं०

२२५

वर्ष *२०१६*

दिनांक	आज्ञा पत्र
<i>२०.१२.१६</i>	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक <i>२१.३.१६</i> को पेश हो।</p>
<i>२९.३.२३</i>	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश ९ नियम ५ सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड तहत आगामी पत्रावली पेश / तलब किया जाये। पत्रावली कार्य तलबी दिनांक <i>३.५.२३</i> को पेश हो। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>
<i>८.५.२३</i>	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज <i>३०.५.२३</i> पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक <i>६.६.२३</i> को पेश हो।</p>
<i>०६.६.२३</i>	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज <i>३०.६.२३</i> पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक <i>२०.७.२३</i> को पेश हो।</p>
<i>५.७.२३</i>	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक <i>१६.७.२३</i> को पेश हो।</p>
<i>७.७.२३</i>	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकृत फैसल नुमां होकर नम्बर से कर होकर बाव तरतीब चकमील दाखिल टफनग हो।</p>

press

श्रीरंग

em

12



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी श्रीकर